भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3174

उत्तर देने की तारीख : 11.07.2019

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई हेतु सहायता

3174. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एमएसएमई अधिनियम के अनुसार उत्तर पूर्व क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने, उनकी वित्तीय सहायता एवं उन्हें प्रौद्योगिकी सहायता देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में एमएसएमई को और अधिक सहायता प्रदान करने एवं अधिक रोजगार सृजित करने के लिए नए कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) : सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित संपूर्ण देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन, वित्तीय सहायता एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस), लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना (एलएमसीएस), डिजाइन क्लिनिक योजना (डीसीएस), डिजिटल एमएसएमई (डीएम), प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन (माटू), जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), प्रौद्योगिकी उद्यम एवं संसाधन केंद्र योजना (टीईआरसी) जैसी योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है।

(ख) और (ग) : सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित संपूर्ण देश में एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी) एवं बिजनेस इंक्यूबेशन योजना जैसी योजनाओं का भी कार्यान्वयन करती है।

*****